प्रेस विज्ञप्ति
2/02/2024

प्रवर्तन निदेशालय ने अनंतिम तौर पर लगभग 130.60 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति जब्त की है, जिसमें लगभग 128.34 करोड़ रुपए की चल संपत्ति भी शामिल है, जिसमें अवैध रेत खनन में लगाए गए 209 रेत उत्खनन यंत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत तमिलनाडु राज्य में गैरकानूनी रेत खनन गतिविधियों में शनमुगम रामचंद्रन, करुप्पैया रेथिनम, पन्नीरसेल्वम करिकालन और अन्य लोगों के 35 बैंक खातों में जमा 2.25 करोड़ रुपए की राशि संलिप्त पाई गई।

प्रवर्तन निदेशालय ने पूरे तमिलनाडु में दर्ज विभिन्न एफआईआर और खुले स्रोतों से प्राप्त जानकारी, जो राज्य के नदी तलों और घाटियों के साथ व्यापक अनधिकृत रेत खनन का संकेत देती है, के आधार पर पीएमएलए, 2002 के तहत जांच शुरू की ।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच से पता चला कि तीन व्यक्तियों, शनमुगम रामचंद्रन, करुप्पैया रेथिनम और पन्नीरसेल्वम करिकालन ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक सिंडिकेट बनाया था और उनके नाम पर या उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर कंपनियों और फर्मों का एक नेटवर्क स्थापित किया था। ये संस्थाएँ राज्य में अवैध रेत खनन गतिविधियों में लिप्त पाई गईं।

खनन स्थलों की स्थिति निर्धारित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु के सभी रेत खनन स्थलों की व्यापक जांच की। विशेषज्ञ टीम की रिपोर्ट ने राज्य सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज मात्रा से कहीं अधिक, अत्यधिक और अवैध रेत खनन के मामलों को उजागर किया। इसके अलावा, अवैध रेत खनन में उपयोग किए जाने वाले उत्खनन यंत्र के निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत जियोफेंसिंग रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चला कि उत्खनन यंत्र को स्वीकृत खनन स्थलों से बाहर तक तैनात किया गया था। इससे स्पष्ट रूप से अवैध और अत्यधिक रेत खनन गतिविधियों की पुष्टि हुई।

इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, त्रिची और पुड्डुकोट्टई में 17 स्थानों पर तलाशी ली थी। परिणामस्वरूप, 2.33 करोड़ रुपए की अघोषित नकदी, 56.86 लाख रुपए मूल्य के सोने के आभूषण और कई अन्य आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, लगभग 13 करोड़ रुपये की संचयी शेष राशि वाले 30 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।